



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/111/10/2025

Ref No: IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/111/10/2025

06.10.2025

प्रति / To,
सभी विनियमित संस्थाएँ और प्रशिक्षण संस्थान
All Regulated Entities and Training Institutes


विषय: - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (NCSAM) 2025
Sub: - National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) 2025

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्व को प्रकाशित करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) के रूप में मनाया जाता है।

The month of October is globally observed as National Cyber Security Awareness Month (NCSAM) with the aim of enhancing cyber security awareness across public and private sectors and highlighting its importance.

इस संबंध में, आपको परामर्श दिया जाता है कि अक्टूबर, 2025 माह को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाएँ और साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का आयोजन करें तथा टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया रील्स, मीम्स, एसएमएस अभियान एवं अन्य प्रभावी माध्यमों सहित विविध मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार अभियान चलाकर जन जागरूकता को सुदृढ़ करें। इसके साथ हीं, माह के दौरान आयोजित गतिविधियों का सारांश 5 नवंबर, 2025 तक प्राधिकरण को infosec@irdai.gov.in पर प्रस्तुत करें।

In this regard, you are advised to celebrate Month of October, 2025, as Cyber Security Awareness Month and carry out activities promoting cyber hygiene and strengthen public awareness by organizing mass outreach initiatives across diverse media platforms, including television, radio, social media reels, memes, SMS campaigns, and other effective channels. Further, the summary of activities carried out during the month shall be submitted to the Authority at infosec@irdai.gov.in by 5th Nov, 2025.


(दीपक गायकवाड / Deepak Gaikwad)
(महाप्रबंधक & सीआईएसओ / General Manager & CISO)